***h Reference regarding Point of Order in the discussion**

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Sir, I have a point of order.

माननीय अध्यक्ष **:** रूल नम्बर बताइए?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: It is Rule 352. I do not want to have the name but when the hon. Finance Minister is referring the name of a Minister who has made a statement in the House, she has to authenticate it. (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष **:** रूल 352 तो सबने पढ़ा हुआ है । माननीय सदस्य जी, आप तो सीनियर हो । जो माननीय सदस्य इस सदन का अब सदस्य नहीं है, उसका नाम नहीं लेना चाहिए । आप यही तो बतायेंगे ।

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** माननीय मंत्री जी ।

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS; AND MINISTER OF MINORITY AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): Hon. Finance Minister is graceful enough not to take his name whereas everybody knows it. So, be satisfied (*Interruptions*)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: What is the problem if I take the name of the State? (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष **:** माननीय सदस्य, प्लीज बैठ जाइए । माननीय सदस्य प्लीज बैठ जाइए । आप क्यों इतने उत तेजित हो रहे हैं, प्लीज बैठ जाइए ।

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** हुड्डा जी, प्लीज बैठ जाइए । माननीय सदस्य आप बार-बार मत उठा कीजिए, आपकी समस याएं गंभीर हैं । प्लीज बैठ जाइए । सुरेश जी आज केरल में जोश ज्यादा है क्या? चलिए बैठ जाइए । हुड्डा जी बैठ जाइए ।

(व्यवधान)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Sir, when the hon. Finance Minister has made a statement in this House regarding the previous proceedings of the House and said: The previous Defence Minister has made such a statement, the House would like to know under what circumstances the hon. Minister has made such a statement.''

That should be authenticated by the hon. Minister. That is the only point of order I would like to make. (*Interruptions*)

श्रीमती निर्मला सीतारमण : एन. के. प्रेमचंद्रन जी के प्वाइंट को I take it upon my head as a responsibility. मैं कल दोपहर में पूरे ऑथेंटिकेशन टेबल पर रखूंगी । Of course, I will do it. (*Interruptions*) Of course, it is not as if I have said it without responsibility. (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष **:** मैंने आपको कहा ही नहीं कि आप सदन के पटल पर रखें । मैं नियम 352 का जवाब उनको दूंगा । नियम 352 के तहत, जब डिबेट चल रही है तो उसमें इन सारे विषयों को बोला जा सकता है । नियम 352 में यह भी है । प्रेमचंद्रन जी, नियम 352 में यह है या नहीं?

(व्यवधान)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Madam has already agreed.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I will obey the order of the Chair. (*Interruptions*)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: It is the responsibility of the Member to authenticate the statement made by the hon. Minister. (*Interruptions*)

डॉ**.** निशिकान्त दुबे **:** उन्होंने तो कह दिया है कि वह नियम 369 के तहत कर देंगी । (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** वह क्यों करेंगी? जब मैंने डायरेक्शन नहीं दिया है तो वह क्यों करेंगी? मैंने नियम 352 की व यवस्था दे दी है । अगर आप चाहते हैं तो मैं नियम 352 को यहां पढ़ देता हूं । हर बार नियम 352 के तहत व यवस्था देना जरूरी हो गया है तो आज नियम 352 को मैं यहां पढ़ देता हूं, क्योंकि सीनियर माननीय सदस्य भी नियम 352 के तहत ऑबजेक्शन उठाते रहते हैं, इसलिए मैं आज नियम 352 के तहत कम्प्लीट व्यवस्था दे देता हूं -

नियम 352 - बोलते समय कोई सदस्य-

(एक) किसी ऐसे तथ्य, विषय का निर्देश नहीं करेगा/करेगी जिस पर न्यायिक विनिश्चय लम्बित हो ।

इन विषयों पर कई बार चर्चा हो चुकी है । जब डिबेट होती है तो क्या संदर्भ नहीं लिया जाता है? डीएमके के माननीय सदस्यों ने यह विषय उठाया है ।

(दो) सभा के किसी अन्य सदस्य पर कोई हेतु का लांछन लगाते हुए अभिकथन नहीं करेगा/करेगी या उसकी सद्भावना पर आपत्ति करके उसका वैयक्तिक निर्देश नहीं करेगा/करेगी जब तक कि ऐसा निर्देश विचाराधीन प्रश्न या सुसंगत होने के कारण वाद-विवाद के प्रयोजनों के लिए अनिवार्यतः आवश्यक न हो ।

सभा में माननीय मंत्री महोदय ने अपनी बात प्रश्न उठने के संदर्भ में कही है । यह रेफरेंस इसके अंदर है । प्रेमचंद्रन जी, क्या नियम 352 क्लीयर है? सदन में कंफ्यूज़न नहीं होना चाहिए । आप सीनियर मैम्बर हैं और चेयर पर भी बैठते हैं ।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: The hon. Minister has already agreed. It is the responsibility of the Minister (*Interruptions*) I would request the hon. Minister to place it on the record. That is all. (*Interruptions*).

---

* **.*** English translation of this part of speech originally delivered in Tamil.

* Introduced with the recommendation of the President.

* **..*** English translation of this part of speech originally delivered in Tamil.

** Introduced with the recommendation of the President.